

स्पीड पोर्ट

e-mail:-

पत्र संख्या: 1/प्रो(च०अ०)-1001/2012-सा०प्र०-

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र प्रसाद यादव,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना—15, दिनांक: २५ जनवरी, 2014

विषय:— चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक किया जाना है।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—बि०प्र०सु०मि०सो०/विविध—36/2012 सो०—1438 दिनांक—13.12.2013 के द्वारा उक्त संदर्भ में आवश्यक निदेश भी जारी किया जा चुका है।

3. गत वर्ष में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने हेतु लागू विहित प्रपत्र में ही चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित किया जाना है। यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

4. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जाने वाली संपत्ति विवरणियों के अतिरिक्त यह संपत्ति विवरणी देय होगी।

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अपनी संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2014 तक क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग को सौपता सुनिश्चित करेंगे।

6. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत कर्मी अपनी सम्पत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2014 तक अपने—अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को 31 मार्च, 2014 तक विभागीय बेवसाईटों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

8. सभी प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2014 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के स्थानीय प्रधानों को भी उपर्युक्त कंडिका-7 के अनुरूप कार्रवाई हेतु सूचित कर दें।

10. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

सरकार के अधीनस्थ सचिव

6. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत कर्मी अपनी सम्पत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2014 तक अपने—अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को 31 मार्च, 2014 तक विभागीय बेवसाईटों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

8. सभी प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2014 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के स्थानीय प्रधानों को भी उपर्युक्त कंडिका—7 के अनुरूप कार्रवाई हेतु सूचित कर दें।


10. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

४०/-

सरकार के अपर सचिव
ज्ञापांकः—1/प्रो०(च०अ०)—1001/2012—सा०प्र०—७२९/पटना—15, दिनांकः २०/०३/२०१४

प्रतिलिपि:- केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी/ केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड, निगम, सोसाइटी पर्षद इत्यादि) के प्रधान /सभी कोषागार पदाधिकारियों/आई टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अधिकारी सचिव